

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: प1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/1953

दिनांक 24.01.2026

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान जयपुर।

प्रेषिती,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगर निकाय),  
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय:-नगर निकाय आम चुनाव 2026 की वीडियोग्राफी व टैण्ट-बैरीकेडिंग, विद्युत एवं  
माईक व्यवस्था पर व्यय सीमा निर्धारण बाबत।

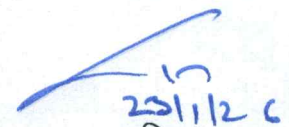
नगर निकाय आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने एवं राज्य में स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन हेतु वीडियोग्राफी कराये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक प.1(4)(1)नपा/रानिआ/14/187 दिनांक 06.01.2026 द्वारा प्रदान किये हुए हैं। आगामी नगर निकाय आम चुनाव 2026 के लिये की जाने वाली वीडियोग्राफी (नामांकन तिथि से मतगणना तक) तथा टैण्ट/बैरीकेडिंग, विद्युत व्यय/माईक व्यवस्था पर होने वाले व्यय में मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर प्रति निकाय निम्नानुसार व्यय की सीमा निर्धारित की जाती है-

| क्र.सं | मतदान केन्द्रों की संख्या     | वीडियोग्राफी | टैण्ट/बैरीकेडिंग, विद्युत व्यय/माईक व्यवस्था |
|--------|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 1.     | 01 से 34 मतदान केन्द्रों तक   | 55,000       | 82,000                                       |
| 2.     | 35 से 59 मतदान केन्द्रों तक   | 82,000       | 1,10,000                                     |
| 3.     | 60 से 100 मतदान केन्द्रों तक  | 1,10,000     | 1,65,000                                     |
| 4.     | 101 से 200 मतदान केन्द्रों तक | 1,65,000     | 3,30,000                                     |
| 5.     | 201 से 300 मतदान केन्द्रों तक | 2,20,000     | 4,40,000                                     |
| 6.     | 300 से अधिक मतदान केन्द्रों   | 3,30,000     | 5,50,000                                     |

टैण्ट/बैरीकेडिंग के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि मतदान दलों/मतगणना दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासंभव राजकीय परिसर/सामुदायिक केन्द्र या ऑडिटोरियम आदि में आयोजित किया जावे। प्रशिक्षण/रवानगी दिवसों में अन्य विकल्प नहीं होने की दशा में टैण्ट की व्यवस्था आवश्यक हो तो साधारण टैण्ट की व्यवस्था की जावे तथा टैण्ट आदि का भुगतान वास्तविक उपयोग दिवस के लिए ही किया जावें।

वीडियोग्राफी के संबंध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता की पालना के बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए नामांकन की तिथि से मतदान दिवस, मतगणना दिवस तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के चुनाव दिवस पर महत्वपूर्ण घटनाओं की वीडियो ग्राफी की जा सकेगी।

उक्तानुसार निर्धारित व्यय सीमा (सीलिंग) की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता प्रतीत होने पर आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

  
सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प1(29)(2)रानिआ/लेखा/बजट/2025-26/954-959

दिनांक 24.01.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सहायक, सचिव/राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
3. उपसचिव/सहायक सचिव/वरिष्ठ लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
4. नगर पालिका चुनाव शाखा/भण्डार शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
5. कम्प्यूटर शाखा/संस्थापन शाखा/लेखा शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
6. गार्ड फाईल।



सचिव  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
राजस्थान, जयपुर